न्यायालय अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर।

जी0आर0सं0–639/2020

दाउदनगर थाना कांड संख्या–218/2020

19.09.2020 आवेदक स्कार्पियो वाहन निबंधन संख्या–**JH13F6147** का स्वामी योगेन्द्र कुमार की ओर से, उपस्थिति पत्र के साथ ई–फायलिंग के तहत उक्त वाहन को मुक्ति हेतु एक आवेदन दाखिल किया गया । आवेदन की प्रति विद्वान अभियोजन पदाधिकारी को दी गई । आवेदक की ओर से फिहरिस्त दस्तावेज की सूची के साथ वाहन की कागजात की छायाप्रति दाखिल किया गया ।

वाद पुकार पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता उपरोक्त आवेदन के आलोक में निवेदन करते है कि उपरोक्त वाहन को आवेदक के पक्ष में मुक्त किया जाय ।

सुना । अभिलेख का अवलोकन किया । उक्त वाद के अनुसंधानक को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आशय का प्रतिवेदन दिनांक–30.09.2020 तक समर्पित करें कि उक्त वाहन की आवश्यकता अनुसंधान के दौरान है या नही । कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि उक्त आदेश की छायाप्रति सम्बन्धित थाना प्रभारी को भेंजे ।

प्र0 अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर ।

पश्चात्

19.09.2020 जिला परिवहन पदाधिकारी, चतरा को निर्देश दिया जाता है कि वाहन निबंधन संख्या–**JH13F6147** का स्कीन प्रतिवेदन दिनांक–30.09.2020 तक समर्पित करें । कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि उक्त आदेश की छायाप्रति सम्बन्धित जिला परिवहन पदाधिकारी को भेंजे ।

प्र0 अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर ।